पटना में दिनांक–08 अक्टूबर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापना व्यय हेतु ₹ 15,00,000/–(पन्द्रह लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	1. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

2. बिहार ललित कला अकादमी, पटना को वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्थापना व्यय हेतु ₹ 17,00,000/– (सतरह लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	2. स्वीकृत।

कृषि विभाग

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरित क्रांति उप योजना का वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृति के लिए अवशेष राशि 6608.68 लाख रू० (छियासठ करोड़ आठ लाख अड़सठ हजार रूपये) के विरूद्ध कार्यक्रम की स्वीकृति।	3. स्वीकृत।

कृषि विभाग

4. कृषि रोड मैप के अधीन गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए श्री विधि तथा जीरो टिलेज विधि के प्रत्यक्षण एवं संबंधित मदों के लिए राज्य योजनान्तर्गत 3034.375 लाख रूपये (तीस करोड़ चौंतीस लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये) की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा व्यय की स्वीकृति।	4. **विभाग द्वारा प्रस्तावित मूल सुधार यानि संलेख की कंडिका–3 में तालिका में "श्री विधि गेहूँ" तथा "जीरो टिलेज गेहूँ" को आपस में प्रतिस्थापित करते हुए स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

5. ₹ 490.00 करोड़ (चार सौ नब्बे करोड़) की लागत पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र, ज्ञान भवन, 5000 क्षमता वाले ऑडिटोरियम एवं सभ्यता द्वार की योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	5. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा– संदलपुर, वार्ड संख्या–17 के विभिन्न शीट संख्या एवं एम० एस० प्लॉट संख्या की 0.92 एकड़ (परिशिष्ट–1) एवं 0. 258 एकड़ (परिशिष्ट–2) अर्थात् कुल 1.178 एकड़ पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि बिहार ज्युडिसियल एकेडमी, पटना के लिए विधि विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

7. केन्द्रीय योजनान्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी में प्रस्तावित भवनादि के निर्माण कार्यो का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 2643.00 लाख मात्र (छब्बीस करोड़ तेतालीस लाख रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 4834.72 लाख (अड़तालीस करोड़ चौंतीस लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि एवं सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ /एम॰जे॰सी॰ के आलोक में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल राशि ₹ 24,90,70,726/–(चौबीस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार सात सौ छब्बीस) रूपये मात्र सहायक अनुदान वेतन की राशि एकमुश्त विमुक्त करने एवं व्यय की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर योजनान्तर्गत भोजपुरी अकादमी / मैथिली अकादमी / मगही अकादमी / बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी / बंगला अकादमी तथा संस्कृत अकादमी को वेतनादि के मद में क्रमशः 39,00,000 / – (उनचालीस लाख रूपये), 30,00,000 / –(तीस लाख रूपये), 25,00,000 / –(पच्चीस लाख रूपये), 80,00,000 / –(अस्सी लाख रूपये), 8,00,000 / –(आठ लाख रूपये), 22,00,000 / –(बाईस लाख रूपये) कुल–2,04,00,000 / –(दो करोड़ चार लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. "वित्त रहित शिक्षा नीति" समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त निजी माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2010–11 में सरकारी अनुदान हेतु ₹ 2,71,87,36,000 (दो अरब इकहत्तर करोड़ सतासी लाख छत्तीस हजार रूपये) की वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

12. बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत 8364.00 करोड़ रूपये की योजना की मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–09.07.2013 को दी गई स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनियों की 9210.75 करोड़ रूपये (नौ हजार दो सौ दस करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) की योजना की स्वीकृति एवं विभिन्न योजनाओं के अवयवों (components) को आवश्यकतानुसार ऊर्जा विभाग द्वारा परिवर्तित करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत योजना उद्व्यय 2125.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध बजट उपबंध के अधीन भारत सरकार द्वारा विमुक्ति के अनुरूप NBPDCL, SBPDCL, एवं BSPTCL को निवेश के रूप में पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2013–14 में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के निमित्त केन्द्रांश की द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त की जाने वाली निधि के विरूद्ध राज्यांश के लिए निर्धारित एलोकेशन के अनुसार राज्यांश की अग्रिम राशि की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

गृह विभाग

14. दिनांक–24.06.2013 को राजस्व जिला पश्चिम चम्पारण अन्तर्गत बगहा पुलिस जिला के नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटहरवाँ गाँव में हुई पुलिस फायरिंग की जाँच के लिए गठित न्यायिक जाँच आयोग कार्यालय हेतु कर्मियों के पदों की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

गृह विभाग

15. दिनांक–18.08.2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, की न्यायिक जाँच हेतु गठित कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग का दिनांक–01.10.2013 से दिनांक–31.03.2014 तक अवधि विस्तार के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

16. दिनांक–12.10.2012 को मधुबनी में उग्र भीड़ द्वारा हिंसक घटनाओं और पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का दिनांक–18.10.2013 से दिनांक–17.04.2014 तक अवधि विस्तार के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

17. वित्तीय वर्ष 2013–14 में समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत नगर निगम गया के लिए ₹ 4458.79 लाख रूपये (चौवालीस करोड़ अन्ठावन लाख उन्नासी हजार रूपये मात्र) की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए गया नगर निगम के लिए केन्द्रांश के रूप में प्रथम किश्त की राशि ₹ 958.90 लाख रूपये (नौ करोड़ अन्ठावन लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) एवं राज्यांश के रूप में प्रथम किस्त की स्वीकृत राशि का 50% ₹ 1161.75 लाख, आधारभूत संरचना का 50% ₹ 65.02 लाख, DPR का कुल परामर्शी शुल्क ₹ 87.42 लाख एवं Centage Charge @ 8% ₹ 349.70 कुल ₹ 1663.90 लाख (सोलह करोड़ तिरसठ लाख नब्बे हजार रू० मात्र) की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया अंचल के मौजा–पडरोन, थाना सं०–436, खाता सं०–10, खेसरा सं०–343, रकबा–0.80 एकड़ गैर मजरूआ आम किस्म छवर भूमि नन्दनगढ़ (पर्यटन विभाग) लौरिया के भवन निर्माण हेतु पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

वित्त विभाग

19.	पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2013 के प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

20.	बेगुसराय, सुपौल, जहानाबाद एवं अररिया जिलें के फारबिसगंज में नया महिला औ०प्र०संस्थान की स्थापना।	20.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

21.	वर्ष 2014 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।	21.	स्वीकृत।